सं.डब्ल्यू-11042/55/2011-जल-II

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन

सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 30 सितंबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **सीपीएचईईओ द्वारा प्रकाशित "जल आपूर्ति एवं शोधन पर मैनुअल" (तृतीय संस्करण-संशोधित और अद्यतन-1999) में बताई गई डिजाइन पद्धतियों का अनुपालन-वितरण पाइप नेटवर्क की डिजाइनिंग और पाइप सामग्रियों का चयन-के संबंध में।**

संदर्भ: इस कार्यालय के दिनांक 5/8/2014 के पत्र सं. डब्ल्यू-11042/55/2011-जल II

मंत्रालय द्वारा यह पाया गया है कि बहुत से सरकारी विभाग/संगठन ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों को तैयार करते समय जल आपूर्ति और शोधन पर चालू सीपीएचईईओ मैनुअल (तृतीय संस्करण-संशोधित और अद्यतन-1999), जिसके अध्याय 6 में विभिन्न पाइपों का विस्तार से नेटवर्क डिजाइनिंग से जुड़े विवरण और पाइप सामग्रियों का चयन शामिल है, में उपलब्ध कराई गई डिजाइन पद्धतियों को नहीं अपनाते।

अत: पुन: दोहराया जाता है कि ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले सभी विभागों/संगठनों को जल के ट्रांसमिशन और वितरण पाइप नेटवर्क (6.2, 6.3 और तालिका 6.4) की डिजाइनिंग और तदनुसार पाइप सामग्रियों के चयन में उसमें दिए गए विवरण के अनुसार उपरोक्त सीपीएचईईओ मैनुअल के अनुपालन और उसकी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।

(डॉ. दिनेश चंद)

अतिरिक्त सलाहकार (पीएचई)

दूरभाष: 24366660

प्रति -

ग्रामीण जल आपूर्ति के सभी प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव और इंजीनियर इन चीफ/मुख्य अभियंता।